



न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 17/2022

निरंजन गगत वगैरह बनाम गौतम जायसवाल वगैरह

| तिथि       | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई |
|------------|---|------------------------|
| 1          | 2   | 3                      |
| 10-02-2022 | <p>प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-07/22 दिनांक 29/01/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गाली गलौज गारपीट को लेकर विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 05-03-2022 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><br/>अनुमण्डल दण्डाधिकारी,<br/>बुण्डू।</p> <p><br/>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br/>बुण्डू।</p> |                        |

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर  
Order and Signature of Magistrate

आदेश पर की गई  
कार्रवाई तिथि सहित  
Action taken on  
order with date

पञ्च क्रम सं०- 01, 02, उपस्थित एवं अन्य अशुद्धि  
हाजरी। द्वितीय पञ्च की ओर से पार्टी गवाही टिप्पणी  
जायसवाल से परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण लिया गया।  
तत्पश्चात् गवाही को मुक्त किया गया/दिनांक  
17-10-2022 को रखें।

कार्य: दण्डा  
कुण्ड।

17-10-2022 पीठाधीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक  
07-11-2022 को रखें।

द०-

07-11-2022 पीठाधीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त।  
दिनांक 14-11-2022 को रखें।

14-11-2022 अभिलेख उपस्थापित। द० प्र० सं० की धारा-116(06)के  
अनुसार धारा 107 की अवधि दरः (06) माह की होती  
है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः (06)  
माह की अवधि पूरी हो चुका है। अर्थात् वाद कालवधि  
हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अशुद्धि द्वारा दोनों  
पक्षों में शोरि बने रहने तथा संबंधित प्राना द्वारा भी  
निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त  
रहने के दशा में, वाद की कार्यवाही को बिना किसी  
प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है। इस संबंध  
में संबंधित को सूचित करें।

कार्य: दण्डा  
कुण्ड।